संоसं०–1 / शि०शु०–02 / 2017– 474(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 25 / 4 / 2017

विषयः– **शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना को वेतन मद एवं गैर–वेतन मद के वहन हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु० 1,00,00,000/– (रुपये एक करोड़) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत ।**

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायक अनुदान–वेतन मद में रु० 75,00,000/– (रुपये पचहत्तर लाख) एवं सहायक अनुदान गैर वेतन मद में रु0 25,00,000/– (रुपये पच्चीस लाख) मात्र अर्थात् कुल रु0 1,00,00,000/– (रुपये एक करोड़) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष– 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी– 0015–शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, विपत्र कोड–20–2210051050015 के विषय शीर्ष 0015.31.04 सहायक अनुदान–वेतन मद एवं विषय शीर्ष 0015.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3– शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति को सहायक अनुदान की यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0–2199/वि0, दिनांक–24.03.2017 के आलोक में प्रदान की जा रही है।

4– समिति प्राप्त राशि का अंकेक्षण ससमय पूर्ण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग के माध्यम से महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित करेगी।

5– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग राशि की निकासी अनुदान विपत्र बी0टी0सी0 फॉर्म–42 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे और सचिव, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

7– इसमें महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8– इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन शाखा, पटना से की जाएगी।

9– प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन सं0सं0–1/शि0शु0–02/2017 में पृष्ठ–......../टि0 पर प्राप्त है।

क्रमशः

10– आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/शि0शु0–02/2017 के पृष्ठ–......../टि० पर प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 25/4/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/शि0शु0–02/2017– 474(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 25/4/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सचिव, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 25/4/17

सरकार के विशेष सचिव